

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 26, मंगलवार, शाके 1948- जून 16, 2026 Jyaistha 26, Tuesday, Saka 1948- June 16, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (गुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 09, 2026

संख्या प. सं. 35 (1) गृह-9/2006 पार्ट :-राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि श्रीगंगानगर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर घुसपैठिए एवं राष्ट्रविरोधी तत्व सीमा पार कर इस क्षेत्र में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं, जिससे जन सुरक्षा एवं शान्ति भंग होने का पूर्ण अंदेशा है। जिले से सटे हुए पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तान में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, जिससे पाकिस्तान से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे के दृष्टिकोण से पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग करने बाबत प्रतिबन्ध लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।

राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट है कि भारत पाक सीमा के श्रीगंगानगर जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों के रोके जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 1719 दिनांक 16.03.2026 एवं बॉर्डर पर पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग की अवांछनीय गतिविधियों को रोके जाने हेतु जारी आदेश क्रमांक 1721 दिनांक 16.03.2026 द्वारा लागू किये गये आदेश (प्रतिबन्ध) की अवधि बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 1719 एवं 1721 दिनांक 16.03.2026 की अवधि एतद्वारा आगामी छः माह (दिनांक 15.09.2026) तक बढ़ाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

गोविन्द प्रसाद,

शासन उप सचिव।

2903

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।